392
14/9/12

खण्ड : 10 संख्या : 2

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(दशम् सत्र)

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

सोमवार, दिनांक : 30 जनवरी 1989 ई०

प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग–(1) वस्तुस्थिति यह है कि श्री परीक्षण सिंह, लिपिक, भोजपुर सहामरणायल (मुख्यालय) में पांच वर्षों से नहीं बल्कि दिनांक 16 मई 1985 से पदस्थापित हैं।

(2) एवं (3) समान्यतया तीन वर्षों के बाद स्थानान्तरण विचारणीय हो जाता है, लेकिन स्थानान्तरण तीन वर्षों की अवधि पूरा हो जाने पर निश्चित रूप से कर ही दिया जाय, ऐसा प्रावधान नहीं है।

सड़क की व्यवस्था

ज–58. श्री शरद कुमार जैन–क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्या यह बात सही है कि गंगा पुल परियोजना के निर्माण के तहत विस्थापितों को बाल किशुनगंज (पटना) स्थिति कोलनी में बसाने की व्यवस्था की गई है जिसमें पानी, बिजली एवं सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं रखने के फलस्वरूप वहां के लोगों को काफी कठिनाई होती है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोलनी, में पानी, बिजली एवं सड़क की शीघ्र व्यवस्था करवाने की विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

प्रभारी मंत्री नगर विकास विभाग–(1) गंगापुल के मूल परियोजना के अन्तर्गत प्रथम दो लेन पुल के निर्माण के तहत विस्थापितों को बसाने हेतु मोहल्ला बालकिशुनगंज पटना में जमीन अर्जित कर उसे विकसित करके नूरानीबाग विस्थापित कालनी नामकरण किया गया । विकसित कार्य के अन्तर्गत कोलनी के सड़क का निर्माण तथा आशोक राजपथ से जलापूर्ति को मुख्य कनेक्शन कोलनी में ले जाया गया। विकास के अन्तर्गत बिजली की लाइन

दौड़ाने का कोई उपबंध नहीं था। उक्त कोलनी के अन्तर्गत आंवंटित प्लौटों में बसे हुए विस्थापितों के द्वारा जलापूर्ति हेतु अपने स्तर से ही कोलनी में मेन सप्लाई से कनेक्शन पटना वाटर बोर्ड के माध्यम से लिया जाता है, क्योंकि इस कोलनी का पटना नगर निगम टैक्स सीधे विस्थापितों से वसूल करता है। बिजली का कनेक्शन भी विस्थापित सीधे बिजली विभाग के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अर्थात् पानी तथा बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए संबंधित विभाग विस्थापितों के अनुरोध पर ही सक्षम है। कोलनी के रख रखाव का दायित्व नगर निगम का है।

गांधों में पेयजल की व्यवस्था

प्र–84. श्रीमती शशि रानी मिश्र–क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

क्या यह बात सही है कि वर्ष 1987–88 में 3,400 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल श्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 30 दिसम्बर, 1987 तक 812 ग्रामों में पेय जल श्रोत उपलब्ध कराये गये, यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मार्च 1988 तक कुल कितने समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल श्रोत उपलब्ध कराये गये।

प्रभारी राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभि. विभाग–प्रश्न के प्रथम खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है। दिसम्बर 1987 तक 812 ग्राम नहीं बल्कि 1992 ग्राम अच्छादित हुए। मार्च 1988 तक कुल 3248 ग्राम अच्छादित किए गए।